संख्या- 03/2018/2779/बयालिस-2017-27(बजट)/2016

प्रेषक,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 11 जनवरी, 2017**

विषय :- **अनुदान संख्या- 22 के राजस्व लेखा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष- 2017-18 में अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि निदेशक, खेल के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी0- 1543/बजट/2017-18, दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 जिसके द्वारा अनुदान संख्या- 22 के राजस्व लेखा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष- 2017-18 में अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि निदेशक, खेल के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव निम्नवत् उपलब्ध कराया गया है :-

राजस्व लेखा **(रू0 लाख में)**

योजना का नाम	**राजस्व लेखा में अनुपूरक मांग के माध्यम से बजट प्राविधान 2017-18**	**वर्ष- 2017-18 में अवमुक्त करने हेतु प्रस्तावित धनराशि**
अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक-2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें-001-निदेशक तथा प्रशासन-03-खेलकूद निदेशालय-09-विद्युत देय	100.00	100.00
104-खेलकूद 11-क्रीड़ा एवं खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन (राज्य से) 42-अन्य व्यय	16.00	16.00
योग:- 2204	**116.00**	**116.00**

उक्त के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष- 2017-18 में अनुपूरक मांग के माध्यम से उपरोक्त तालिकानुसार प्राविधानित धनराशि रू0 116.00 लाख (रू0 एक करोड़ सोलह लाख मात्र) निदेशक, खेल के निर्वतन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1)- उक्त स्वीकृत धनराशि प्रदेशन मात्र है यह किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त-पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार तथा अन्य समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2)- शासकीय व्यय में मितव्ययिता हेतु निर्गत शासनादेश संख्या- सी0ए0- 934/10-2004-मित-1/2007, दिनांक 02 सितम्बर, 2008 का विशेष रूप से पालन किया जाये।

(3)- जिन मदों में निदेशालय के नियंत्रण अधिकारी स्वयं अपने स्तर से धनराशि स्वीकृत करने के लिए प्राधिकृत है उन स्वीकृतियों से संबंधित आदेश की प्रति शासन को अनिवार्य रूप से पृष्ठांकित करके उपलब्ध करायी जायेगी तथा व्यय के वास्तविक विवरण भी माह के 10 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 4/2017/बी0-1-414/दस-2017-12(2)/2017, दिनांक 23 मार्च, 2017 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या– 8/2017/बी0-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में निहित प्रावधानों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5)- उक्त धनराशि की स्वीकृति के फलस्वरूप विभिन्न मदों पर होने वाला व्यय, वित्तीय वर्ष- 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 22 के अन्तर्गत सुसंगत लेखाशीर्षकों, उप लेखाशीर्षकों/विभिन्न मदों के नामें डाला जायेगा।

(6)- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 8/2017-बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या- 2779(1)/बयालिस-2017-तद्दिनांक :-</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>

(1)- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(2)- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(3)- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(5)- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
(6)- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in